

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- कप्तानगंज

**11 शीशी देशी शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अवैध मादक पदार्थों के तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर आजमगढ़ के दिशा निर्देशन में अवैध शराब के सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु चलाये गये अभियान के तहत आज दिनांक 29.05.2021 को मुखबीरी सूचना के आधार पर उ०नि० जितेन्द्र सिंह मय हमराहियान के दबिश देकर एक व्यक्ति को 11 शीशी देशी शराब के साथ पियरिया धर्मशाला के पास से समय 08.10 बजे गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछा गया तो वह अपना नाम मनोज सोनकर पुत्रशंकर सोनकर सा०पियरिया(धर्मशाला) थाना कप्तानगंज आजमगढ़ बताया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 76/2021 धारा 60 EX. ACT पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग**

मु०अ०सं० 76/21 धारा 60 EX. ACT थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त**

मनोज सोनकर पुत्रशंकर सोनकर पुत्रपियरिया(धर्मशाला) थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

**बरामदगी**

11 शीशी देशी शराब

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम**

उ०नि० जितेन्द्र सिंह मय हमराह का० नित्यानन्द सिंह, का० पंकज यादव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

**थाना- महाराजगंज****लडकी को बहला-फूसलाकर ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक- 27.05.2021 को श्री रामकवल थाना- महाराजगंज आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया गया कि लखन्दर निषाद पुत्र विशुन निषाद निवासी देवारा जदीद थाना महाराजगंज आजमगढ़ द्वारा वादी की बेटी को बहला-फूसलाकर मोटरसाईकिल पर लेकर भाग गया। जिसकी सूचना प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

महिला सम्बन्धित संगीन अपराधो पर रोकथाम लगाये जाने विषयक चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 29.05.21 को उ०नि० हौसला सिंह मय हमराही कर्म०गण चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व कोरोना महामारी के दृष्टिगत क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिली कि मु०अ०सं० 162/2021 धारा 363 , 366 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त लखन्दर निषाद पुत्र विशुन निषाद निवासी ग्रा० देवारा जदीद थाना महाराजगंज जिला आजमगढ़ कटान बाजार चौराहे पर मौजूद है। इस सूचना पर उ०नि० मय हमराह के कटान बाजार चौराहा पहुंचकर अभियुक्त लखन्दर निषाद को समय करीब 08.45 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग**

मु०अ०सं० 162/2021 धारा 363, 366 IPC थाना महाराजगंज आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त**

लखन्दर निषाद पुत्र विशुन निषाद निवासी ग्रा० देवारा जदीद थाना महाराजगंज जिला आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

उ०नि० हौसला प्रसाद सिंह मय हमराह हे०का० रमेश कुमार , हे०का० समेरिका यादव थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

## थाना सरायमीर

### गैरेस्टर एक्ट के 01 वांछित गिरफ्तार, कई मुकदमें दर्ज।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा चलाये जा रहे अभियान चोर, लूटेरे, वांछित अपराधी व गोवध से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण आजमगढ़ के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के आदेश के अनुपालन में दिनांक 29.05.2021 को थाना स्थानीय मु0अ0सं0 0059/2021 धारा 3(1) यूपी गैरेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण

**1. महताब उर्फ घुरहु पुत्र स्व0 शब्बीर निवासी राजापुर सिकरौर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़** को समय करीब 06.00 बजे अभियुक्त के घर से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1. महताब उर्फ घुरहु पुत्र स्व0 शब्बीर निवासी राजापुर सिकरौर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

#### **आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 59/21 धारा 3(1) गैरेस्टर एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 85/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 86/20 धारा 307/34 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 144/19 धारा 457/380/411 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

#### **गिरफ्तारकर्ता:-**

1. प्र0 नि0 अनिल कुमार सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 विहंगल यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. का0 अर्जुन प्रसाद थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

## थाना अतरौलिया

### चोरी की दो मोटरसाइकिल के साथ दो आपचारी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित, इनामिया, अवैध शराब बिक्री के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढनपुर श्री महेन्द्र कुमार शुक्ला व प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज पाण्डेय अतरौलिया आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में दिनांक 28.05.2021 को SI जीतेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह का 0 उमेश सिंह के थाने से रवाना होकर चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में लोहरा पश्चिम गेट के पास मौजूद थे तभी SI रविन्द्र प्रताप यादव मय हमराह का 0 अमित जायसवाल व का 0 राजन कुमार के आये जिनसे क्षेत्र में हो रही मोटर साइकिलों की चोरी के सम्बन्ध में बातचीत की जा रही थी तभी मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि दो लड़के दो चोरी की मोटर साइकिल लेकर अम्बेडकर नगर से लोहरा गाँव होकर लोहरा गेट की तरफ मोटर साइकिल लेकर बेचने के लिये जाने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके हमराही/अधि 0 कर्म 0 गणों को सूचना से अवगत कराकर गेट की आड़ लेकर छिप गये और मोटर साइकिल लेकर आने वाले अधि 0 गणों का इन्तजार करने लगे तभी लोहरा गाँव की तरफ से दो मोटर साइकिल आती हुयी दिखाई दी जब दोनों मोटर साइकिल सवार व्यक्ति गेट के नजदीक पहुँचे तो पुलिस वाले अचानक आड़ से निकलकर उन दोनों को रुकने का इशारा किये तो दोनों मोटर साइकिल सवार अपनी अपनी मोटर साइकिल मोडकर पीछे मुडकर भागना चाहे तो दोनों आपस में टकराकर वहीं पर गिर पड़े तत्पराता दिखाते हुये पुलिसवाले उन दोनों को घेरघार कर मौके पर ही दोनों मोटरसाइकिलों के साथ पकड़ लिये। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों का जब नाम पता पूछा गया तो होण्डा साइन पर मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम विकास सिंह थाना कटका जिला अम्बेडकर नगर उम्र 16 वर्ष तथा हीरो स्पलेण्डर प्रो लिये व्यक्ति ने अपना नाम गोलू उर्फ पिन्टु पुत्र जालिम थाना कटका जिला अम्बेडकर नगर बताया। जब उम्र के बारे में पूछा गया तो अपनी उम्र 15 वर्ष बताया। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों से जब भागने का कारण पूछा गया तो दोनों ने बताया कि साहब हम दोनों के पास जो मोटर साइकिल लिये है यह दोनों चोरी की है। इसलिये हमलोग पकड़े जाने के डर से भाग रहे थे हम दोनों लोग एक साथ मिलकर दोनों मोटर साइकिल को दिनांक 26-05-21 की रात ग्राम मडहरा अम्बेडकर नगर से बारात से चुराये थे और आज हम दोनों, दोनों मोटरसाइकिल की बेचने के लिये बुढनपुर जा रहे थे। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताये कि हमलोग अपना खर्च चलाने के लिये मोटर साइकिल चुराकर उनका नम्बर तोड़ देते हैं और दूसरे को ले जाकर बेच देते हैं। गिरफ्तार बाल अपचारी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 79/21 धारा 41/411/419/420 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

#### **गिरफ्तार बाल अपचारी-**

1. विकास सिंह पुत्र रामजीत सिंह निवासी सिधौरिया दुलहुपुर थाना कटका जिला अम्बेडकर नगर उम्र 16 वर्ष
  2. गोलू उर्फ पिन्टु पुत्र जालिम निवासी सिधौरिया दुलहुपुर थाना कटका जिला अम्बेडकर नगर उम्र 15 वर्ष
- बरामदगी -**

1. हीरो स्पलेण्डर मोटर साइकिल
2. होण्डा साइन मोटर साइकिल

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह थाना अतरौलिया आजमगढ़
2. उ0नि0 रविन्द्र प्रताप यादव थाना अतरौलिया आजमगढ़
3. का0 उमेश सिंह थाना अतरौलिया आजमगढ़
4. का0 अमित जायसवाल थाना अतरौलिया आजमगढ़
5. का0 राजन कुमार थाना अतरौलिया आजमगढ़

### थाना- मेहनगर

#### एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 26.05.21 समय करीब 14.00 बजे ग्राम चन्दनी मे जमीनी सम्बन्धित विवाद व पुरानी रंजिश को लेकर वादी कुल गौरव सिंह के पिता रामनवल सिंह उम्र 55 वर्ष को अभियुक्त ओमप्रकाश सिंह के ललकारने पर अभियुक्त शिवम पुत्र ओमप्रकाश सिंह द्वारा वादी के पिता रामनवल सिंह को गोली मार दी गयी गोली रामनवल सिंह के दाहिने जांघ पर लगी , वादी श्री कुलगौरव सिंह के लिखित तहरीर पर दिनांक 26.05.2021 को ही थाना स्थानीय मु0अ0सं0 103/21 धारा 307/352/504 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत होकर निरी0 अपराध राजेश कुमार मिश्रा द्वारा विवेचना प्रचलित है ।

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे अपर पुलिस आधिकारिक नगर तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल पर्यवेक्षण निरीक्षक अपराध राजेश कुमार मिश्र मय हमराहियान के थाना हाजा से प्रस्थान होकर देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन तलाश वांछित अभियुक्त व मु0अ0सं0 103/21 धारा 307/323/352/504 भा0द0वि0 की विवेचना मे मामूर होकर अभियुक्त ओमप्रकाश सिंह को दबिश देकर अभियुक्त के घर ग्राम चन्दनी से कारण गिरफ्तारी व जुर्म से अवगत कराते हुए समय करीब 07.15 बजे गिरफ्तार किया गया ।

**पूछताछ का विवरण-** अभियुक्त ओमप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 सीता राम सा0 चान्दनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपनी सफाई जरिये अधिवक्ता मा0 न्यायालय देना बता रहे है।

#### **पंजीकृत अभियोग-**

1- मु0अ0सं0 103/21 धारा 307/323/352/504 भादवि थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तगण –**

1.ओमप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 सीता राम सा0 चान्दनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1- निरीक्षक अपराध राजेश कुमार मिश्र मय हमराह, थाना- मेहनगर, आजमगढ़ ।